IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.)
PIRO, DISTRICT- BHOJPUR (BIHAR)
Misc. No- 22/23

नारद मुनी साव व अन्य
ग्राम+पोस्ट+थाना पीरो, जिला भोजपुर।

..... वादी

बनाम

द्वारिका साह व अन्य
ग्राम पीरो, वार्ड नं0 25, पोस्ट+थाना पीरो
जिला– भोजपुर।

..... मुदालय

आदेश

Order Dated- 11-06-2026

1. आज यह विविध वाद संख्या 22/23 आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। आज आवेदक की हाजरी दी गई। यह विविध वाद संख्या 22/23 आवेदक नारद मुनी व अन्य की तरफ से दिनांक 17.07.2023 को स्वत्व वाद संख्या 35/09 में दिनांक 13.06.2023 को पारित आदेश को रिकॉल के लिए तथा मूल वाद के रिस्टोर के लिए दाखिल किया गया है। प्रस्तुत विविध वाद में वादी द्वारा अपने अर्जी में यह कहा गया है कि आवेदकगण की तरफ से स्वत्व वाद संख्या 35/09 दखल कब्जा व अदम हकियत विपक्षी के विरूद्व के लिए लाया गया है जो कि वादपत्र के सूची 1 में दिया गया है। आगे अपने अर्जी में कहते हैं कि स्वत्व वाद संख्या 35/09 के पैरवीकार मूल वाद के क्रमांक 2 पांचरतन साह ही फैमली अभिभावक व पैरवीकार रहे हैं लेकिन अचानक उनके पैर में दिक्कत व चलने–फिरने में असमर्थता से वे लगातार सात आठ महीना से न्यायालय पहूंचने में असमर्थ रहे तथा पांचरतन साह थक हारकर यत्र दवा अंदाजतन छोड़कर बनारस चैरीटेबल हॉस्पीटल(ट्रस्ट) आरा सासाराम रोड़ इब्राहिमपुर पीरो में 10.03.2023 से इलाज शुरू कराये व डॉक्टर साहब उदय जी आराम करने का सलाह दिए जिसके कारण पांचरतन साह को उनके मुकदमे का अदम पैरवी के अभाव में खारिज दिनांक 13.06.2023 का सूचना अधिवक्ता महोदय दिए। अधिवक्ता से नकल निकालने के संबंध में फोन से सूचना दिए व नकल का दिनांक 06.07.2023 को प्राप्त होने व मेडिकल रीलिफ दिनांक 12.07.2023 के पश्चात आदेश दिनांक 13.07.2023 को रिकॉल व रिस्टोर के लिए आवेदन लाए। आगे अपने अर्जी में आवेदक कहते हैं कि वे जानबूझकर पैरवी नहीं छोड़ा बल्कि कर्ता ऑफ दी फैमली के स्वास्थ्य के चलते अदम पैरवी

में मुकदमा बिना मैरीट का खारिज हो गया जबकि सुलहनामा लंबित है। अतः न्यायालय से आवेदक का निवेदन है कि अदम पैरवी में खारिज मुकदमा दिनांक 13.06.2023 ऑर्डर को रिकॉल किया जाए व मूल वाद मेरिट पर रिस्टोर किया जाए।

प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस केस के विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा सभी प्रकार से नोटिश दिए जाने के बावजूद विपक्षीगण जबाव हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः न्यायहित में न्यायालय द्वार दिनांक 19.11.2025 को सभी विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किया जाता है।

आवेदक द्वारा अपने विविध वाद संख्या 22/23 के समर्थन में दो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

वादी साक्षी संख्या 1 पांचरतन साह द्वारा दिनांक 18.12.2025 को अपने गवाही में कहा गया है कि मैंने नंबरी मुकदमा 35/09 किया था जो अदम पैरवी में 13.06.2023 को खारिज हो गया है तथा आगे कहते हैं कि मेरा पैर में दिक्कत हो गया था, चलने फिरने में दिक्कत के कारण मैं सात–आठ महीना न्यायालय नहीं जा सका जिसके कारण दिनांक 13.06.2023 को पैरवी के अभाव में मुकदमा बंद हो गया। मैंने जानबूझकर पैरवी नहीं छोड़ा था बल्कि इलाज को लेकर ऐसा हुआ। अतः निवेदन है कि मेरे मुकदमे को पूर्नजीवित कर दिया जाए एवं मैं नीयत समय पर उचित पैरवी करूंगा।

वादी साक्षी संख्या 2 नारद मुनी साव द्वारा दिनांक 18.12.2025 को अपने गवाही में कहा गया है कि मैंने नंबरी मुकदमा 35/09 किया था जो अदम पैरवी में 13.06.2023 को खारिज हो गया है तथा आगे कहते हैं कि पैरवीकार पांचरतन साह के पैर में दिक्कत हो गया था, चलने फिरने में दिक्कत के कारण मैं सात–आठ महीना न्यायालय नहीं जा सकता जिसके कारण दिनांक 13.06.2023 को पैरवी के अभाव में मुकदमा बंद हो गया। आवेदक ने जानबूझकर पैरवी नहीं छोड़ा था बल्कि इलाज को लेकर ऐसा हुआ। अतः निवेदन है कि मुकदमे को पूर्नजीवित कर दिया जाए एवं आवेदक द्वारा नीयत समय पर उचित पैरवी किया जाएगा।

निष्कर्ष

आवेदक की तरफ से आवेदक स्वयं दिनांक 17.07.2023 को न्यायालय में अपना नंबरी मुकदमा 35/09 को पुनजीवित करने हेतु विविध वाद संख्या 22/23 दाखिल किया है। विविध वाद संख्या 22/23 में विपक्षी की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण दिनांक 19.11.2025 को सभी विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था वादी पक्ष द्वारा मामले में दो मौखिक साक्ष्य वादी साक्षी संख्या 1 पांचरतन साह एवं वादी साक्षी संख्या 2 नारद मुनी द्वारा गवाही दिया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा स्वत्व वाद संख्या 35/09 में जानबूझकर पैरवी करना नहीं छोड़े थे बल्कि वादी के पक्षकार पांचरतन साह जो कि उक्त मुकदमे के

पैरवीकार थे के बीमार हो जाने के कारण पैरवी नहीं कर सके जिसके कारण दिनांक 13.06.2023 को स्वत्व वाद संख्या 35/09 अदम पैरवी में खारिज हो गया था तथा आवेदक का कहना है कि मैं जानबूझकर कभी मुकदमा नं0 35/09 में पैरवी करना नहीं छोड़ा तथा नंबरी मुकदमा नं0 35/09 के पुनर्जीवित होने पर उचित समय पर उचित पैरवी करूंगा तथा अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मैं यह मुकदमा में पैरवी करना हार के डर से नहीं छोड़ा था बल्कि मेरी तबियत खराब हो गई थी जिसके कारण मैं पैरवी नहीं कर सका। आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मूल वाद का पुनर्जीवित नहीं होने से मेरा बहुत क्षति होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायहित में स्वत्व वाद सं0 35/09 में पारित दिनांक 13.06.2023 के आदेश को 1000 रुपया के खर्चे के साथ अपास्त (Set aside) करते हुए मुकदमा स्वत्व वाद सं0 35/09 को जहां से खारिज हुआ था वहीं से पूर्नजीवित किया जाता है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
पीरो, (जिला– भोजपुर)